न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–06/2024 दायर दिनांक:– 03.05.2024

जीसीएमएस नं. 2024/124

1. किशोर पुत्र फूसिया
2. केशन्ती पुत्री फूसिया
3. गुलाब पुत्री फूसिया
4. रमेशी पुत्री फूसिया
5. कुसवा पुत्री फूसिया

सभी जातियान जाटवान निवासी दानालपुर तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली

––अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत पटोंदा जरिये सरपंच, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

––रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामांतकरण नम्बरी 920 तारीखी 11.07.2022 तस्दीक दिनांक 20.07.2022, ग्राम पंचायत पटोंदा, पचायत श्रीमहावीरजी, जिला–करौली (राज0)

उपस्थित –1.पुरूषोत्तम गोयल अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय

दिनांक:–

प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट खाता संख्या 32 का खसरा न0 288 रकबा 55 ऐयर स्थित ग्राम कजानीपुर, तहसील श्रीमहावीरजी में अपीलान्टस की मां बुद्धो पत्नि फूसिया, जाति जाटव हिस्सा 7/86 की खातेदार काश्तकार रही है।

खाता संख्या हाल 33 का खसरा न0 345/1286 रकबा 11 ऐयर स्थित ग्राम कजानीपुर तहसील श्रीमहावीरजी में अपीलान्टस की मां बुद्धो पत्नि फूसिया, जाति जाटव हिस्सा 1/6 की खातेदार काश्तकार रही है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 01 व 02 में अपीलान्टस की मां बुद्धों पत्नि फूसिया संयुक्त खातेदार काश्तकार रही है तथा अपीलान्टस की मां बुद्धों का स्वर्गवास होने पर अपीलान्टस ही उसके विधिक वारिस है और उक्त आराजीयात में उसके तर्के पर काबिज व दखील होकर उसका उपभोग संयुक्त रूप से करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 15:39:43 IST
Reason: SelfAttested

बुद्धों पत्नि फूसिया की कोई पुत्री सूआबाई नहीं है बल्कि उसका सही नाम कुसवा देवी पुत्री फूसिया है उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी उसका सही नाम कुसवादेवी है तथा कुसवा देवी को घर में प्यास से सुआबाई कहते मगर पटवारी हल्का ने उक्त अपीलाधीन नामांतकरण खोलते समय बिना रिकॉर्ड देखे गलत तरीके से कुसवा देवी के स्थान पर सुआबाई का नाम अंकित कर दिया, जबकि वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में सूआबाई न होकर सही नाम कुसवा देवी पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गया है, इसलिये उक्त नामांतकरण खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त अपीलाधीन नामांतकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टस की वल्दियत फूसिया के स्थान पर विधि विरुद्ध रूप से फूस्या दर्ज कर दी, जबकि अपीलान्टस के पिता का सही नाम फूसिया है, इसलिये भी उक्त अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस द्वारा उक्त नामांतकरण की नकल दिनांक 22.04.2024 को लेने पर अपीलान्टस को उक्त नामांतकरण में उपरोक्त गल्तियों का पता लगा, जिस पर अपीलान्टस द्वारा दिनांक 29.04.2024 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जमाबंदी में उक्त नामांतकरण के आधार पर अपीलान्टस की वल्दियत तथा अपीलान्ट नम्बर 05 का नाम कुसवादेवी के स्थान पर सुआबाई देखकर अपीलान्टस हक्के बक्के रह गये। इस प्रकार उक्त नामांतकरण को देखकर उसके गलत तस्दीक होने की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्टस को इस बाबत कोई जानकारी नही थी तथा अपीलान्टस द्वारा इल्म की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। बरफाये हुज्जत दफा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतकरण अपीलान्टस की सही वल्दियत सही नाम दर्ज करते हुए पुनः खोला जाकर तस्दीक किये जाने हेतु रैस्पोंडेन्ट को रिमाण्ड फरमाते हुए तहरीर जारी फरमायी जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 01.07.2024 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील अपीलान्टने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 32, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 33 नकल नामान्तकरण सं0 920, फैंसल दिनांक 11.07..2022 पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।वकील अपीलान्टने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 32 के आराजी खसरा न0 288 रकबा 55 ऐयर स्थित ग्राम कजानीपुर, तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी सुआबाई पुत्री फूस्या हिस्सा 21/215 जातियान जाटव सा. दानालपुर खातेदार, जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 33 के खसरा नं0 345/1286 रकबा 11 ऐयर वाके ग्राम कजानीपुर, तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी, सुआबाई पुत्री फूसिया ... सा. दानालपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested

नकल नामान्तकरण सं0 920 फैंसल दिनांक 11.07.2022 के अनुसार आराजी नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 32 के आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 55 ऐयर, जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 33 के खसरा नं0 345/1286 रकबा 11 वाके ग्राम कजानीपुर तहसील श्रीमहावीरजी सुआबाई पुत्री बुद्धो, सुआबाई पुत्री फूसिया दर्ज रिकॉर्ड हैं जबकि अपीलान्टीगण

उपखण्ड अधिकारी
(करौली)

रा उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारों की हिस्सेदारी तो सही है लेकिन नामांतकरण संख्या 920 दिनांक 11.07.2022 में कुसवा देवी पुत्री फूस्या के स्थान पर सुआबाई पुत्री फूस्या दर्ज रिकॉर्ड हो गया है। प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दुओं पर वादपत्र में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 920 फैंसल दिनांक 11.07.2022 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 920 फैंसल दिनांक 11.07.2022 श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार श्रीमहावीरजी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28/08/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 15:59:43 IST
Reason: SelfAttested